



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 ज्येष्ठ 1948 (श10)
(सं0 पटना 526) पटना, सोमवार, 25 मई 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना
21 मई 2026

एस०ओ० 111, दिनांक 25 मई 2026—सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 106 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्माण श्रमिकों के निबंधन के लिए निर्गत पूर्व की सभी अधिसूचना को विलोपित कर बिहार सरकार एतद् द्वारा नीचे अनुसूची के स्तम्भ (2) में वर्णित पदाधिकारियों को अनुसूची के स्तम्भ (3) में यथार्निदिष्ट क्षेत्राधिकार में उक्त अधिनियम अंतर्गत लाभार्थियों के निबंधन हेतु शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निबंधन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

अनुसूची

क्र० सं०	पदाधिकारी	क्षेत्राधिकार
1	2	3
1	सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	अपने निर्धारित प्रखंड के सम्पूर्ण क्षेत्रान्तर्गत सभी निर्माण कामगारों के लिए

(बी०सी०डब्लू०सी०-88/2013-443/श्र०सं०)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन,
संयुक्त सचिव।

21 मई 2026

एस०ओ० 111, दिनांक 25 मई 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(बी०सी०डब्लू०सी०-88/2013-443/अ०सं०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजीव रंजन,

संयुक्त सचिव।

The 21st May 2026

S.O. 111. dated 25th May 2026—In exercise of power conferred by section- 106 of The Code On Social Security, 2020 Government of Bihar omitting all previous notification issued for registration of construction workers is hereby pleased to appoint, the Officers mentioned in colum-(2) of the schedule below, to Register beneficiaries under the above Acts and Rule, as “Registering Officer” within their territorial Jurisdiction as specified against each in the table given below:-

Schedule

Sl.No	Officers	Jurisdiction
1	2	3
1	All Labour Enforcement Officer	For all construction workers within the entire area of their designated block

(B.C.W.C-88/2013-443/L&R)

By order of the Governor of Bihar,

RAJEEV RANJAN,

Joint Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 526-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>